

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई- 7.300 किमी०)

भाग - 2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम सं०.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान

(01) राज्य/संघशासित क्षेत्र-

(02) जिला-

(03) वन प्रभाग-

(04) वनेत्तर प्रयोग के लिये- प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (है० में)

(05) वन की कानूनी स्थिति-

(06) हरियाली का घनत्व-

(07) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और- परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ०आर० एल०-8 मी० पर परिगणना भी संलग्न की जाय।

(08) भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।

(09) वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी।

(10) क्या फॉर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी कारीडोर आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जाय)

(11) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ संकटापन/वशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं, यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

उत्तराखण्ड राज्य

देहरादून

चकराता वन प्रभाग, चकराता

3.152 है०

सिविल वन भूमि

0.1 % है०

संलग्न है।

संवेदनशील क्षेत्र नहीं है। भू-वैज्ञानिक की आख्या पृ०सं०..... पर संलग्न है।

पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से आगे विस्तारीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

नहीं।

नहीं

कार्य का नाम:-

जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई- 7.300 किमी०)

- (12) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / पारम्परिक स्थल रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हां तो तत् सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो।
नहीं।
8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कॉलम दो प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।
वांछित भूमि न्यूनतम है सर्वेक्षण के आधार पर इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां / नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चाह रहे हैं।
नहीं।
10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा
- (1) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवकमित वन क्षेत्र, आस - पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।
प्रतिपूरक वृक्षारोपण ग्राम कुल्हा की सिविल भूमि में किया जाना है।
- (2) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवकमित वन क्षेत्र, आस - पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।
मैप संलग्न है।
- (3) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।
संलग्न है।
- (4) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिय्य।
3.15 ~~22.6.30~~ प्रति है 1,30,000 = 8,19,000
- (5) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)।
संलग्न है।

कार्य का नाम:-

जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई- 7.300 किमी०)

11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट, विशेषतः उपर्युक्त कॉलम 7 (गपए गपप) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए संलग्न करें।

12. प्रभाग / जिला प्रोफाइल—

चकराता वन प्रभाग, चकराता

- (1) जिला का भौगोलिक क्षेत्र।

3.088... 570 13 24

- (2) जिला का वन क्षेत्र।

21167901

- (3) मामलों की संख्या सहित 1980 से वने-
-त्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।

359.300 J.

- (4) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण।

 $685\frac{4}{5}$

- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि पर

- (ख) वनेत्तर भूमि पर

- (ग) वन भूमि पर

..... १०

- (घ) वनेत्तर भूमि पर

435

13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव
अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक
की विशेष सिफारिश। *इस मंत्रि वि*

प्रस्ताव को स्वीकृत करने की संस्मृति की जाती है।

की विशेष सिफारिश। इस मर्ज निर्माण के तैयारी के समीप के मातापिता परिवार
इसके इसी छवि उपर के तैयारी के लिये जानकर है। इस मर्ज निर्माण
के निर्माण के लिये है, लम्बा 7.30 किमी लम्बा के लिये लम्बा मर्ज निर्माण है।
प्रति 2.50 किमी लम्बा 7.30 किमी 2.50 किमी = 14.60 किमी = 14

दिनांक.....16-12-2014.....

स्थान..... पंचायत

हस्ताक्षर

नाम:- (डॉ. दिवाकर शिंदे)

प्रमाणिकः कर्मचारी

1. ~~अथ~~ अथ वन प्रभाग

संस्कृत (विश्वरादन)

1. The first part of the paper is devoted to the study of the asymptotic behavior of the solutions of the system (1) as $t \rightarrow \infty$. It is shown that the solutions of the system (1) tend to zero as $t \rightarrow \infty$ if and only if the matrix A is stable.